सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :.NCST/ATY-3182/JH/205/2025-RU-IV

दिनांक :29.01.2026

To,

The Deputy Commissioner,
District-Garhwa,
Collectorate Building,
Garhwa, Jharkhand 822114
Email Id: dc-gar@nic.in

Sub: Complaint regarding non-action by the School administration of High School, Hariharpur, District Garhwa against the guilty teachers.-mail dated 13.10.2025 of Shri Prince Kumar Singh, Village-Lamri Khurd, P.O.-Lamri kala Kandi, District-Garhwa (Jharkhand).

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 24.12.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

(Y.P Yadav/यो.प्र.यादव)
उप सचिव/Deputy Secretary
ई-मेल :rahul.1424@ncst.nic.in

Copy to -:

Shri Prince Kumar Singh,
Vill Lamari Khurd
PO-Lamari Kala Kandi
District- Garhwa, Jharkhand,
Mobile No:6205789142

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल संख्या NCST/ATY-3182/JH/205/2025-RU-IV

हाई स्कूल, हरिहरपुर, जिला गढ़वा (झारखंड) के विद्यालय प्रशासन द्वारा दोषी शिक्षकों के विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने के संबंध में श्री प्रिंस कुमार सिंह द्वारा ई-मेल दिनांक 13.10.2025 के माध्यम से प्रस्तुत शिकायत के संदर्भ में, आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 24.12.2025 को आयोग के मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि तथा समय : दिनांक 24 .12.2025 को दोपहर 12.00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-। अनुसार।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अवर सचिव ने दिनांक 15.10.2025 के पत्र के माध्यम से श्री प्रिंस कुमार सिंह, ग्राम–लामरी खुर्द, पोस्ट ऑफिस–लामरी कला कांडी, जिला–गढ़वा (झारखंड) द्वारा भेजे गए दिनांक 13.10.2025 के ई-मेल को अग्रेषित किया था। अपने ई-मेल में श्री प्रिंस कुमार सिंह ने हाई स्कूल, हरिहरपुर, जिला गढ़वा के दो शिक्षकों श्री अलाउद्दीन एवं श्री आदित्य प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध शिकायत की है, जिन्होंने उक्त विद्यालय की एस.टी. महिला प्रधानाध्यापिका श्रीमती बिद्यानी बखला के साथ धोखाधड़ी की है। जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा द्वारा दिनांक 23.08.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) द्वारा उपरोक्त दोनों शिक्षकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) आरोपित शिक्षकों को बचा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दोषी शिक्षकों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

2. मामले में आयोग द्वारा दिनांक 07.11.2025 को उपायुक्त, गढ़वा (झारखंड) को विषय से संबंधित तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया था। लेकिन संबंधित पदाधिकारी के कार्यालय से अभी तक कोई वांछित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

3. संबंधित अधिकारी से निर्धारित समयावधि में कोई रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण मामले में आयोग की माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सिटिंग निर्धारित की गई | तदनुसार सिटिंग नोटिस उपायुक्त, जिला- गढ़वा (झारखंड) को निर्गत किया गया। अभ्यावेदक को भी इसकी सूचना दी गई |

4. उपायुक्त गढ़वा द्वारा पत्रांक 1929/क. दिनांक 22.12.2025 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नामित किया | सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | अभ्यावेदक सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे |

5.सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा आयोग को निवेदन किया गया कि मामले की सम्पूर्ण जाँच के लिए उन्हें अतिरिक्त 15 दिनों का समय प्रदान किया जाए।

6.मामले में सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं :

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

i. चूँकि अभ्यावेदक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा पर मामले में निष्क्रियता एवं आरोपित शिक्षकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है, अतः निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अनुशंसा की जाती है कि प्रकरण की सम्यक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच उपायुक्त, गढ़वा द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित किसी वरिष्ठ अधिकारी/स्वतंत्र जांच समिति से कराई जाए। जांच के उपरांत संपूर्ण तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन एवं की गई/प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्ट विवरण सहित, इस कार्यवृत्त की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित किया जाए।

ii. यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि जिला शिक्षा अधीक्षक की रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने के उपरांत भी जानबूझकर कार्रवाई में विलंब या लापरवाही बरती गई है, तो ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रशासनिक/विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किए जाने पर विचार किया जाए तथा इसकी सूचना आयोग को दी जाए।

आशा लकड़ा
09/01/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-3182/JH/205/2025-RU-IV

Sitting to be held on **24.12.2025 at 12.00 Noon**- Complaint regarding non-action by the School administration of High School, Hariharpur, District Gadhwa against the guilty teachers.-mail dated 13.10.2025 of **Shri Prince Kumar Singh,** Village-Lamri Khurd, P.O.-Lamri kala Kandi, District-Garhwa (Jharkhand).

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, District - Garhwa, Jharkhand**		
1.	Kaisar Raza, D.E.O, Garhwa	Garhwa	[signature]
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			